

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना कोतवाली

धर्मान्तर करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 31.8.2021 को जित्तू सोनकर s/o जयराम सोनकर मोहल्ला सरायमन्दराज पो. भवरनाथ थाना कोतवाली सदर आजमगढ द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि गांव में अज्ञात व्यक्ति लगभग तीन महीनो से भूत प्रेत की बाधा को दूर करने का लालच को दिखाकर हमारे मोहल्ला व बगल के मोहल्ले करतालपुर हर्जन बस्ती में अपना माया जाल दिखाकर धर्मान्तरण करवा रहा था इसी क्रम में दिनांक 31.8.21 को कुछ बाईबिल व अन्य पुस्तके मोहल्ले वालो को वाटा तथा हिन्दू देवी देवताओ को अश्लील व गाली दे रहा था गांव वालो ने विरोध किया तो उनको 500 - 500 रुपये का नोट का लालच दिया और कहा कि तुम लोग इसाई धर्म स्वीकार कर लो तो प्रभू ईशू तुम लोगो कि दलिद्रता व सारे कष्ट दूर कर देगे विरोध करने पर चमारिया व घटिया शब्द का प्रयोग किया तथा मां बहन की भद्दी भद्दी गाली देना शुरू कर दिया। जिसका नाम रामचन्द्र s/o पतिराज आरजी नम्बर 1386/02 बंधवा नाला हुकुलगंज वाराणसी ज्ञात हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 273/21 धारा 298/504 भादवि 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधि0 बनाम रामचन्द्र s/o पतिराज आरजी नम्बर 1386/02 बंधवा नाला हुकुलगंज वाराणसी पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियो की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी (नगर)(सदर) श्री सिद्धार्थ तोमर के कुशल पर्वेक्षण व प्र0नि0 के. के. गुप्ता केनेतृत्व में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली पर अलग -अलग टीम गठित कर अपराध/अपराधियो की धड़ पकड़ करने हेतु हेतु लगातार प्रयास के क्रम में -

दिनांक 1.9.21 को उ0नि0 शिव कुमार कुशवाहा मय हमराह का 0 संदीप सिंह व का 0 पवन कुमार के साथ विवेचना में क्षेत्र में मामूर था कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि मु 0अ0सं0 273/21 धारा 298/504 भादवि 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधि 0 का वांछित अभियुक्त जो करतालपुर तिराहे पर काफी मात्रा मे क्रिश्चियन धर्म सम्बन्धी पुस्तक लेकर कही धर्म परिवर्तन हेतु की गाड़ी के इन्तजार मे खड़ा है। यदि जल्दी किया जाये तो मिल सकता है। इस सूचना पर विश्वास करके मय मुखबिर खास के साथ करतालपुर तिराहे पर पहुंचा तो मुखबिर खास ने इशारा करके बताया कि साहब वही व्यक्ति है। जिसकी तलाश आप कर रहे थे। इतना कहकर मुखबिर खास हट बढ़ गया कि हम पुलिस वालो को देखकर तेज कदमो से भागने लगा कि एकबारगी घेरघार करके समय करीब 09.00 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम रामचन्द्र पुत्र स्व 0 पतिराज पता आराजी नम्बर 1386/2 बंधवा नाला हुकुलगंज थाना कैण्ट जनपद वाराणसी बताया कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण - अभियुक्त रामचन्द्र पुत्र स्व 0 पतिराज पता आराजी नम्बर 1386/2 बंधवा नाला हुकुलगंज थाना कैण्ट जनपद वाराणसी बता रहा है कि ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया हूँ और वाराणसी में कलवारी संस्था चलाता हूँ और ईसाई संस्था से मुझे जो पैसे मिलते हैं उन पैसों का लालच देकर भूत प्रेत का डर दिखाकर बढ़ा चढ़ाकर धर्म परिवर्तन अपने तरीके से कराता हूँ।

पूर्व पंजीकृत अभियोग का विवरण—

1. मु0अ0सं0 273/21 धारा 298/504 भादवि 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि0

गिरफ्तार अभियुक्त -रामचन्द्र पुत्र स्व0 पतिराज पता आराजी नम्बर 1386/2 बंधवा नाला हुकुलगंज थाना कैण्ट जनपद वाराणसी बरामदगी माल का विवरण-

1- 12 अदद क्रिश्चन धार्मिक पुस्तकें व अन्य प्रपत्र

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 शिवकुमार कुशवाहा चौकी ब्रह्मस्थान, थाना कोतवाली, आजमगढ।

2. का0 संदीप सिंह थाना कोतवाली, आजमगढ।

3. का0 पवन कुमार थाना कोतवाली, आजमगढ।

थाना- कन्धरापुर**किशोरी को बहला-फूसलाकर ले जाने वाला गिरफ्तार**

थाना- कन्धरापुर की गाँव की नाबालिक लडकी उम्र लगभग 14 वर्ष है। दिनांक 29.6.20 को रात करीब 10.00 बजे उनीश उर्फ उनीश पुत्र स्व अवधराज निषाद बहला फूसलाकर अपने साथ भगा ले गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 83/2020 धारा 363/366 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

व0उ0नि0 निशात जमां खाँ मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 83/2020 धारा 363/366/368/376D भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट सम्बन्धित वांछित प्रकाश में आया अभियुक्त अंगद निषाद पुत्र रामलखन निषाद नि0 ग्यासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ अपने घर पर मौजूद है जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है मुखबिर मय हमराही के साथ लेकर गयासपुर अभियुक्त के घर के पास पहुँचा मुखबिर ने दूर से इशारा करके घर के सामने

एक व्यक्ति जो कुर्सी पर बैठा है वही है, चला गया। व0उ0नि0 मय हमराही द्वारा उस व्यक्ति के पास पहुँच कर घेर कर नाम पता पूछकर यह इत्मिनान हो जाने पर कि यही अंगद निषाद पुत्र रामलखन निषाद नि0 ग्यासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को हिरासत पुलिस में समय 8:00 बजे लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-अंगद निषाद पुत्र रामलखन निषाद उम्र करीब 21 वर्ष नि0 ग्यासपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 83/2020 धारा363/366/368/376D भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 निशात जमां खां थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

2.का0 अनिल कुमार पाण्डेय थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

थाना पवई

एक क्विन्टल से अधिक गौमांस के साथ एक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन थानाध्यक्ष पवई बृजेश सिंह मय हमराह द्वारा क्षेत्र में मामूर थे कि पूर्व से रवाना द्वितीय मोबाइल के उ0नि0 वीरेन्द्र यादव, का0 पंकज हलवाई का0 मिथिलेश यादव के साथ बागबहार पुलिसिया पर मिले जहां पर हम सभी लोग अपराध एवं अपराधियों के बारे में वार्ता कर रहे थे कि मुखवीर खास आकर बताया कि ग्राम- लखमापुर में सफहत पुत्र अज्ञात जो ग्राम लपरी थाना सरायख्वाजा जिला जौनपुर का रहने वाला है जो काफी वर्षों से अपने साले असहत पुत्र अबूसाद के घर अपनी वीवी के साथ रहता है तथा अपने अन्य साथियों के साथ मिल कर आये दिन गाय को काट कर बाहर सप्लाई कराता है आज अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर गौवंश को काटकर उसके मांश को छोटे छोटे टुकडों में करके गाय के मांस को दो बैग में रख कर दो मोटरसाईकिल पर चार व्यक्ति अपने साथ गौमांश लेकर फरीहा जाने के लिये लखमापुर से सहदुल्लापुर होते हुये मैगना नहर पुलिसिया से नहर का रास्ता पकडते हुये अम्बारी के रास्ते फरीहा जाने वाले हैं जल्दी किया जाये तो गौ मांस सहित पकडे जा सकते हैं मुखबीर की सूचना पर विश्वास करते हुए मुखबीरी सूचना से हमराह पुलिस बल को अवगत कराते हुए मौके से मुखबीर खास को साथ लेकर बागबहार पुलिस से प्रस्थान होकर मैगना नहर पुलिसिया के पास आकर अपने –अपने वाहनो को पेडो की आड में खडा करके हमराह पुलिस बल से मैगना नहर पुलिसिया पर गाडा बन्दी कराकर मोटरसाईकिल से गौ मांस लाने वाले व्यक्तियों का इंतजार करने लगे कि थोड़ी ही देर में सहदुल्लापुर के तरफ से दो मोटरसाईकिल मैगना नहर की तरफ आते हुए दिखाई दिये कि मुखबीर खास ने बताया की साहब यही दोनो मोटरसाईकिल हैं जिस पर दो-दो व्यक्ति अपने साथ बैग में गौ मांस रख कर लेकर आ रहे हैं यह कहते हुए मुखबीर खास मौके से हट गया की हम पुलिस वाले दोनो मोटरसाईकिलो का नजदीक आने का इंतजार करने लगे की काफी नजदीक आने के उपरान्त एका-एक हम पुलिस वाले रोड पर खडे होकर टार्च की रोशनी में आने वाले दोनो मोटर साईकिलो को रोकने का प्रयास किये कि दोनो मोटरसाईकिल चालक अचानक पुनः सहदुल्लापुर के तरफ गाडी मोडकर भागने का प्रयास किये की एक मोटरसाईकिल का पीछे बैठा व्यक्ति दो बैगों के साथ गिर गया कि हम पुलिस वाले दौडाकर मोटरसाईकिल से गिरने वाले व्यक्ति को पकड लिये तथा दोनो मोटरसाईकिल चालक मौके से अंधरे का फायदा उठाकर सहदुल्लापुर की तरफ भागने में सफल रहे पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पुछते हुए जामा तलाशी लिया गया तो उसने अपना नाम अदनान पुत्र उस्मान निवासी लखमापुर थाना पवई आजमगढ़ बताया मोटरसाईकिल से गिरने के कारण पकडे गये व्यक्ति के मुह के पास बायें तरफ रगड से चोट लग गई है पकडे गये व्यक्ति के पास से दो अदद काले रंग का बैग बरामद हुआ जिसको खोल कर देखा गया तो छोटे-छोटे टुकडों में मांस का पीस कटा हुआ गंदम रंग के प्लास्टिक के बोरो में रख कर मुह बांधकर दोनो बैगों में मांस को रखा गया है जिसमें से कुल 110 किलो ग्राम गौमांश बरामद हुआ कारण गिरफ्तारी बताते हुये अभियुक्त उपरोक्त को दिनांक 31.08.21 समय 23.15 हिरासत पुलिस में लेकर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 118/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियमथाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1.अदनान पुत्र उस्मान निवासी लखमापुर थाना पवई आजमगढ़

बरामदगी –

1- 110 किलो ग्राम गोमांस

पुलिस टीम –

1.थानाध्यक्ष बृजेश सिंह मय हमराह थाना पवई आजमगढ़

2.उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय हमराह थाना पवई आजमगढ़